दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 18-08-2026

विषय सूची

सांसदों और विधायकों के विरुद्ध 4,000 मामले लंबित

CAG की ऑडिट रिपोर्ट ने रेलवे में यात्री सुविधाओं से संबंधित शासन-व्यवस्था पर गंभीर चिंताएँ उजागर कीं

चुनावों में काले धन का उपयोग लोकतंत्र के लिए बाधक: सर्वोच्च न्यायालय

भारत में डिजिटल अवसंरचना

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एजेंट

संक्षिप्त समाचार

महाराष्ट्र द्वारा दही हांडी उत्सव के लिए यूनेस्को विरासत दर्जा की मांग

सांप्रदायिक पुरस्कार (Communal Award)

डेन्यूब बंदरगाह

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS)

रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन

समुद्री निगरानी के लिए नौसेना लीज पर लेगी दो MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन

अभ्यास MAITREE-XV (2026)

www.nextias.com

सांसदों और विधायकों के विरुद्ध 4,000 मामले लंबित

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में वर्तमान एवं पूर्व सांसदों तथा विधायकों के विरुद्ध कुल 4,192 मामले विचारण हेतु लंबित हैं।

परिचय

- 28 में से 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध आपराधिक मामले विचाराधीन हैं।

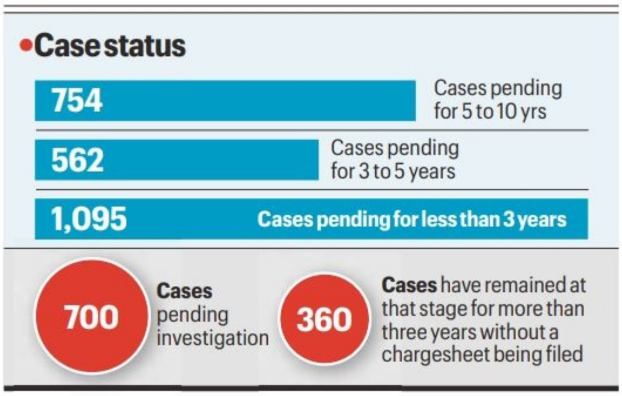

राजनीति के अपराधीकरण के कारण

- **कमजोर अयोग्यता संबंधी कानून:** जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) के अनुसार, उम्मीदवारों की अयोग्यता केवल दोषसिद्धि के बाद होती है। चूँकि मुकदमों के निपटारे में वर्षों लग जाते हैं, इसलिए उम्मीदवार किसी निर्णय के आने से पहले कई चुनाव लड़ लेते हैं।
- **धन एवं बाहुबल का प्रभाव:** वित्तीय संसाधनों और स्थानीय प्रभाव वाले उम्मीदवारों को अक्सर "विजयी होने की अधिक संभावना वाले" उम्मीदवार के रूप में देखा जाता है।
- **मतदाता जागरूकता का अभाव:** शपथ-पत्रों में उम्मीदवारों से संबंधित विवरण उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन अनेक मतदाता इन जानकारियों से अनभिज्ञ रहते हैं या जाति/धर्म के आधार पर मतदान करते हैं।
- **राजनीतिक दलों की मिलीभगत:** राजनीतिक दल कभी-कभी उम्मीदवार की लोकप्रियता और चुनाव जीतने की संभावनाओं के आधार पर उसके आपराधिक मामलों को उचित ठहराते हुए उसकी उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं।
- **न्यायिक विलंब:** बार-बार स्थगन तथा न्यायिक प्रक्रियाओं की लंबी अवधि के कारण आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति दोषसिद्धि से बच निकलते हैं।

राजनीति के अपराधीकरण का प्रभाव

- **लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण:** यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के सिद्धांत को कमजोर करता है। मतदाताओं के सामने विकल्प सीमित हो जाते हैं, जिससे प्रतिनिधि लोकतंत्र की भावना कमजोर होती है।
- **भ्रष्टाचार:** आपराधिक तत्वों की उपस्थिति से चुनावी कदाचार में वृद्धि होती है, जैसे मतदाताओं को डराना-धमकाना, बूथ कैप्चरिंग तथा चुनाव प्रचार में काले धन का उपयोग।
- **जनविश्वास में गिरावट:** दागी छवि वाले प्रतिनिधियों के बार-बार निर्वाचित होने से मतदान प्रतिशत में कमी आती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होता है।
- **नीति-निर्माण का विकृतिकरण:** निर्वाचित प्रतिनिधि अपने व्यक्तिगत हितों तथा आपराधिक नेटवर्क की रक्षा के लिए राजनीतिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जिससे नीति-निर्माण जनहित से विमुख हो जाता है।

प्रमुख समितियों की सिफारिशें

- इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998) एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007) ने काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए चुनावों के आंशिक राज्य-वित्तपोषण की सिफारिश की।
- संविधान के कार्यकरण की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग ने अपनी 2002 की रिपोर्ट में राजनीतिक दलों की जवाबदेही बढ़ाने के उपायों की सिफारिश की। इनमें दलों के चुनावी व्यय का वैधानिक लेखा-परीक्षण तथा उम्मीदवारों की परिसंपत्तियों और देनदारियों का खुलासा शामिल था।
- विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट (2014) ने सिफारिश की कि ऐसे अपराधों में, जिनमें अधिकतम पाँच वर्ष या उससे अधिक के कारावास का प्रावधान है, आरोप तय होते ही राजनेताओं को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।
- रिपोर्ट में वर्तमान सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की स्थापना के माध्यम से सुनवाई में तीव्रता लाने की विशेष सिफारिश की गई।

सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप

- **भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (2002):** सर्वोच्च न्यायालय ने उस उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें निर्वाचन आयोग को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से संबंधित पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त कर उसे सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था।

- इस जानकारी में उम्मीदवारों की संपत्ति, आपराधिक रिकॉर्ड और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरण शामिल हैं।
- न्यायालय ने माना कि सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के बारे में जानने का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से उत्पन्न होता है।

- **लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013):** न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी वर्तमान सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य (MLC) को ऐसे अपराध में दोषसिद्धि होने पर, जिसमें दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो, तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- **पब्लिक इंटरेस्ट फ़ाउंडेशन बनाम भारत संघ (2018):** न्यायालय ने राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का निर्देश दिया, जिसमें अपराधों और आरोपों की प्रकृति का विवरण शामिल हो।
- **रामबाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा (2020):** भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वे लंबित आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों का विवरण अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया और समाचार-पत्रों में प्रकाशित करें। साथ ही, उम्मीदवार के चयन के कारणों का भी उल्लेख किया जाए। यह जानकारी उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के अंदर प्रकाशित की जानी थी।
- **त्वरित सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश:**
  - 2017 में, सर्वोच्च न्यायालय ने विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 12 विशेष न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया।
  - 2018 में, न्यायालय ने प्रत्येक जिले में एक नामित सत्र न्यायालय और एक नामित मजिस्ट्रेट न्यायालय की पहचान करने का निर्देश दिया, ताकि ऐसे मामलों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जा सके।
  - 2023 में, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को ऐसे मामलों के शीघ्र निपटारे की निगरानी के लिए स्वतः संज्ञान मामले दर्ज करने का निर्देश दिया तथा विशेष पीठों को त्वरित सुनवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का अधिकार दिया।
  - सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद, लंबित मामलों की संख्या लगभग उसी स्तर पर बनी रही।

130वाँ संविधान संशोधन विधेयक

- **पृष्ठभूमि:** यह विधेयक वर्ष 2025 में प्रस्तुत किया गया था और इसके बाद तीव्र विरोध एवं प्रदर्शन के बीच इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेज दिया गया।
- **प्रमुख विशेषताएँ:** विधेयक में ऐसे मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान किया गया है, जिस पर पाँच वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप हो तथा जिसे लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार कर हिरासत में रखा गया हो।
  - यदि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना होगा; अन्यथा वे 31वें दिन स्वतः पद पर बने रहने का अधिकार खो देंगे।
  - प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को हटाने का निर्देश क्रमशः राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को परामर्श दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, 30 दिनों की निरंतर हिरासत पूरी होने पर 31वें दिन पद स्वतः समाप्त हो जाएगा।
- वर्तमान में मंत्री त्यागपत्र देने, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा पद से हटाए जाने अथवा वर्तमान कानूनों के अंतर्गत दोषसिद्धि के बाद अयोग्य घोषित होने के माध्यम से पद छोड़ते हैं।

निष्कर्ष

- निर्वाचित प्रतिनिधियों की आपराधिक पृष्ठभूमि लोकतांत्रिक शासन को कमजोर करती है, कानून के शासन को प्रभावित करती है तथा संस्थाओं के प्रति जनविश्वास को क्षीण करती है।
- इस समस्या के समाधान के लिए चुनावी सुधार, लंबित मामलों की त्वरित सुनवाई, राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता तथा मतदाताओं की सूचित एवं जागरूक भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है।

स्रोत: IE

CAG की ऑडिट रिपोर्ट ने रेलवे में यात्री सुविधाओं से संबंधित शासन-व्यवस्था पर गंभीर चिंताएँ उजागर कीं

संदर्भ

- वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए रेलवे की यात्री सुविधाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा हाल ही में किए गए ऑडिट में बुनियादी सुविधाओं, पेयजल की गुणवत्ता, यात्री-सुविधा संबंधी कार्यों के क्रियान्वयन तथा निगरानी तंत्र में कई गंभीर कमियाँ पाई गईं।

CAG ऑडिट के प्रमुख निष्कर्ष

- रेलवे बोर्ड ने वर्ष 2003 में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएँ (MEA) शुरू की थीं, जिनके मानकों को वर्ष 2018 में संशोधित किया गया।
    - ऑडिट किए गए 512 गैर-उपनगरीय स्टेशनों में से केवल 54 स्टेशनों (11% से भी कम) पर सभी निर्धारित न्यूनतम आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध थीं।
- **पेयजल की सुरक्षा:** कई स्टेशनों पर वाटर कूलरों से लिए गए जल के नमूनों में ई. कोलाई पाया गया, जो मलजनित संदूषण तथा जल-गुणवत्ता प्रबंधन में अपर्याप्तता का संकेत है।
- **दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता:** ऑडिट में सार्वभौमिक सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई सुविधाओं में महत्वपूर्ण कमियाँ सामने आईं। मानक रेलिंग युक्त रैंप केवल 44%, निर्धारित पार्किंग स्थल 55% और फिसलन-रोधी मार्ग 32% मामलों में उपलब्ध पाए गए।
- **धनराशि का अपर्याप्त उपयोग:** लगभग 59% यात्री-सुविधा संबंधी कार्यों में देरी पाई गई। ऑडिट अवधि के दौरान यात्री सुविधाओं के लिए आवंटित धनराशि का 36–44% तक उपयोग नहीं किया गया।
- **रखरखाव संबंधी चिंताएँ:** CAG ने वाटर कूलरों के रखरखाव, कचरा उठाने, कीट एवं कृंतक नियंत्रण उपायों, स्टेशनों पर नालियों या शौचालयों से सीवेज के निकास तथा शौचालयों, मूत्रालयों और स्नानघरों के रखरखाव में कमियाँ पाईं।
- **कमजोर निगरानी:** यात्रियों से फीडबैक प्राप्त करने और यात्री सुविधाओं की निगरानी के लिए गठित क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समितियाँ (ZRUCCs) तथा मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समितियाँ (DRUCCs) निर्धारित आवृत्ति के अनुसार बैठकें नहीं कर रही थीं।
- **यात्रियों की शिकायतें:** रेलमदद(RailMadad) के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों के विश्लेषण में चिकित्सा सहायता, स्वच्छता, खराब विद्युत उपकरणों तथा जल की उपलब्धता से संबंधित शिकायतों में वृद्धि देखी गई।
    - अपनी शिकायतों के समाधान से असंतुष्ट यात्रियों का अनुपात 2022-23 में 37% से बढ़कर 2023-24 में 42% हो गया।

यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए सरकारी पहल

- **अमृत भारत स्टेशन योजना:** यह रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसके अंतर्गत पूरे भारत में 1,340 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
- **स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत कार्यक्रम:** इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य स्वच्छता मानकों में सुधार करना, पटरियों पर खुले में कचरा एवं अपशिष्ट के निपटान को समाप्त करना तथा यात्रियों में स्वच्छ यात्रा की आदतों को बढ़ावा देना है।
- **रेलमदद(RailMadad):** यह यात्रियों को रेलवे सेवाओं से संबंधित शिकायतें दर्ज करने और सहायता प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल माध्यम उपलब्ध कराता है।
    - शिकायतों में स्वच्छता, जल, विद्युत उपकरण, चिकित्सा सहायता तथा अन्य यात्री सुविधाओं से संबंधित मुद्दे शामिल हो सकते हैं।
- **स्वच्छता अवसंरचना:** भारतीय रेलवे ने स्वच्छता संबंधी प्रयासों के अंतर्गत बायो-टॉयलेट तथा बेहतर शौचालय अवसंरचना को बढ़ावा दिया है।
    - CAG द्वारा हाल में उठाई गई चिंताओं के बाद रेलवे ने वाटर कूलरों सहित लगभग 20,000 स्थानों पर "टैंक-टू-टैप" जल निस्यंदन प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है।
- **यात्री सूचना प्रणाली:** रेलवे स्टेशनों को बेहतर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंडिकेटर, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली, डिजिटल डिस्प्ले और संकेतक पट्टिकाओं से सुसज्जित किया जा रहा है।

CAG की सिफारिशें

- CAG ने सिफारिश की है कि रेलवे को यात्री सुविधाओं में पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए स्टेशन-वार और समयबद्ध कार्ययोजनाएँ तैयार कर उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।
- रेलवे को सभी परामर्शदात्री समितियों और सेवा सुधार समूहों की नियमित बैठकें सुनिश्चित करनी चाहिए तथा कमियों के प्रभावी दस्तावेजीकरण, पर्यवेक्षण और उनके अनुपालन की निगरानी पर ध्यान देना चाहिए।
- रेलवे को यात्री-केंद्रित निगरानी तंत्र को भी सुदृढ़ करना चाहिए। इसके लिए कूड़ा फैलाने के विरुद्ध नियमों के प्रभावी अनुपालन, शिकायत निवारण व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा शिकायत रजिस्टरों के व्यापक प्रचार-प्रसार पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में ठोस सुधार सुनिश्चित हो सके।

NEXT IAS हिन्दी

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

- CAG भारत का सर्वोच्च लेखा-परीक्षण प्राधिकरण है, जो सरकारी खातों का ऑडिट करने तथा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक CAG की नियुक्ति, कर्तव्यों और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की व्यवस्था का संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है।
- नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 CAG के सेवा संबंधी प्रावधानों को निर्धारित करता है तथा उसके कार्यालय के कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख करता है।

CAG के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

- भारत की संचित निधितथा विधानमंडल वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की संचित निधि से किए गए व्यय का ऑडिट करना।
- भारत और राज्यों की आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा से किए गए व्यय का ऑडिट करना।
- राष्ट्रपति की अनुमति से ऋण, ऋण मोचन निधि , जमा, अग्रिम, निलंबित खाते और विप्रेषण संबंधी लेन-देन का ऑडिट करना।
- राष्ट्रपति या राज्यपाल के अनुरोध पर किसी प्राधिकरण के खातों का ऑडिट करना, जैसे स्थानीय निकायों के खाते।

CAG द्वारा भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाने वाली ऑडिट रिपोर्ट

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को तीन प्रमुख प्रकार की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती हैं।
- **विनियोग लेखों पर ऑडिट रिपोर्ट:** यह रिपोर्ट दर्शाती है कि विधानमंडल द्वारा स्वीकृत धनराशि को विभिन्न व्यय मदों और अनुदानों के लिए किस प्रकार आवंटित किया गया। यह भी सत्यापित किया जाता है कि धनराशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए किया गया या नहीं।
- **वित्त लेखों पर ऑडिट रिपोर्ट:** यह रिपोर्ट देश की वार्षिक प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करती है।
- **सार्वजनिक उपक्रमों पर ऑडिट रिपोर्ट:** यह रिपोर्ट विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) की वित्तीय स्थिति और उनके व्यय को शामिल करती है।
    - रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद राष्ट्रपति इन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसके पश्चात लोक लेखा समिति (PAC) इन रिपोर्टों की जाँच करती है और अपने निष्कर्ष संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है।

स्रोत: IE

चुनावों में काले धन का उपयोग लोकतंत्र के लिए बाधक: सर्वोच्च न्यायालय

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अघोषित नकदी और चुनावी अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने कहा कि **अवैध धन से प्रभावित मतदाताओं की पसंद स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों तथा 'लोकतंत्र के मूल स्वरूप' के लिए हानिकारक है।**

चुनावों में काला धन

- चुनावों में काले धन का उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने, चुनाव प्रचार में सहायता देने, नकदी या उपहार वितरित करने तथा कानूनी ढाँचे से बाहर अघोषित धन के माध्यम से चुनाव संबंधी व्ययों को पूरा करने के लिए किया जाता है।
- यह चुनावी प्रतिस्पर्धा के लिए असमान परिस्थितियाँ पैदा करता है और धन, अपराध तथा राजनीति के बीच गठजोड़ को बढ़ावा दे सकता है।
- यह मुद्दा प्रथिक परसरामपुरिया बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया। यह मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय के वर्ष 2015 के उस निर्णय से संबंधित था, जिसमें मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए नकदी जमा करने के आरोप से संबंधित FIR को निरस्त कर दिया गया था।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यवाही का दायरा बढ़ाते हुए चुनावों में काले धन की व्यापक और प्रणालीगत समस्या की जाँच की।

वर्तमान स्थिति

- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने न्यायालय के समक्ष आँकड़े प्रस्तुत किए, जिनके अनुसार **2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान 3,87,430 FIR दर्ज** की गईं। इनमें से केवल लगभग **42.9% (1,66,044)** मामलों में दोषसिद्धि हुई, जबकि शेष मामले जाँच या विचारण के स्तर पर लंबित थे।
- न्यायालय ने कहा कि प्रशासन में परिवर्तन के बाद चुनाव संबंधी अभियोजन मामलों को वापस लिया जाना **दंड से मुक्ति की धारणा** को उत्पन्न कर सकता है।

काला धन लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों है?

- **मतदाता की पसंद को विकृत करना:** वित्तीय प्रलोभन एक सूचित चुनावी निर्णय को लेन-देन में बदल देते हैं।
- **असमान चुनावी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना:** अवैध वित्तपोषण तक अधिक पहुँच रखने वाले उम्मीदवारों को अनुचित लाभ प्राप्त होता है।

- **राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा देना:** अघोषित धन अपराध, व्यवसाय और राजनीति के बीच गठजोड़ को सुदृढ़ करने में सहायक हो सकता है।
- **जनविश्वास को कमजोर करना:** चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर की धारणा लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता के विश्वास को कमजोर करती है।
- **नीति-निर्माण पर प्रभाव डालना:** अवैध वित्तपोषण पर निर्भर उम्मीदवार निजी हितों के प्रभाव में आ सकते हैं।
- **लोकतांत्रिक समानता को कमजोर करना:** राजनीति में अत्यधिक धन का प्रभाव अपेक्षाकृत कम संपन्न लोगों की राजनीतिक आवाज को दबा सकता है।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने **इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण** मामले में न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना की उस टिप्पणी का उल्लेख किया, जिसके अनुसार लोकतंत्र का आधार **स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों में विश्वास** है।
    - **अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ** मामले में न्यायालय ने यह दोहराया कि **"मतपत्र सबसे शक्तिशाली बंदूक से भी अधिक प्रभावशाली है।"**

संवैधानिक, कानूनी एवं संस्थागत ढाँचा

- **निर्वाचन आयोग:** व्यय पर्यवेक्षकों , स्थैतिक निगरानी दलों और उड़न दस्तों के माध्यम से अवैध चुनावी व्यय का पता लगाता है।
- **अनुच्छेद 324:** यह निर्वाचन आयोग को चुनावों के संचालन और निगरानी के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता है।
- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951:** यह चुनावी अपराधों, भ्रष्ट आचरण और चुनावी व्यय से संबंधित वैधानिक ढाँचा प्रदान करता है।
- **आयकर प्राधिकरण:** निर्धारित मानदंडों के आधार पर अघोषित नकदी और संपत्तियों की जाँच करता है तथा उनकी जब्ती की कार्रवाई कर सकता है।
- **न्यायपालिका:** चुनाव संबंधी मामलों की समीक्षा करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि चुनावों से संबंधित अभियोजन और उनकी वापसी कानून के अनुरूप हो।
- न्यायालय ने चुनावी वित्तीय असमानता से जुड़े मुद्दों का उल्लेख **कंवर लाल गुप्ता बनाम अमर नाथ चावला (1975), गोस्वामी समिति रिपोर्ट (1990), वोहरा समिति रिपोर्ट (1993)** तथा **विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015)** के संदर्भ में किया।

सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्देश

- न्यायालय ने निर्देश दिया कि:
    - जब्त की गई नकदी/संपत्ति की सूचना **24 घंटे के अंदर** संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/न्यायालय को दी जाए तथा प्रथमदृष्टया चुनावी संबंध स्थापित करने वाले कारणों का उल्लेख किया जाए।
    - जाँच सामान्यतः **एक वर्ष के अंदर पूरी** की जानी चाहिए। विलंब होने पर उसके कारण दर्ज किए जाएँ और निर्वाचन आयोग को सूचित किया जाए।
    - जाँच की स्थिति से संबंधित **त्रैमासिक रिपोर्ट** निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की जाए।
    - स्थैतिक निगरानी दलों द्वारा पकड़ी गई **₹10 लाख से अधिक की नकदी** की सूचना आयकर अधिकारियों को दी जाए।
    - उच्च न्यायालय उम्मीदवारों तथा वर्तमान सांसदों/विधायकों के विरुद्ध मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए **विशेष न्यायालयों** को नामित करें।
    - किसी चुनावी चक्र के दौरान उम्मीदवारों के विरुद्ध अभियोजन वापस लेने के लिए संबंधित **उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति** आवश्यक होगी।
    - लंबित चुनावी अपराधों से संबंधित मामलों का **शीघ्र निपटारा** किया जाए।
    - निर्वाचन आयोग और सरकारों को **18 नवंबर 2026** तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

आगे की राह: उपायों को सुदृढ़ करना

- चुनावी अपराधों की **समयबद्ध जाँच और सुनवाई** सुनिश्चित करना।
- निर्वाचन आयोग की तकनीकी एवं वित्तीय-जाँच संबंधी क्षमता को सुदृढ़ करना।
- निर्वाचन आयोग, आयकर विभाग, पुलिस तथा अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार करना।
- राजनीतिक दलों और चुनाव प्रचार के वित्तपोषण के खुलासे के लिए **पारदर्शी तंत्र** स्थापित करना।
- चुनावी अभियोजन को राजनीतिक उद्देश्यों से वापस लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना।
- प्रलोभन स्वीकार करने के दुष्प्रभावों के संबंध में मतदाताओं की जागरूकता बढ़ाना।
- चुनावी राजनीति की अपारदर्शी निजी वित्तपोषण पर निर्भरता कम करने के लिए **संस्थागत सुधारों** पर विचार करना।

निष्कर्ष

- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए केवल मतदान का अधिकार पर्याप्त नहीं है, बल्कि मतदाताओं को **बिना किसी दबाव या अवैध वित्तीय प्रभाव के अपनी पसंद का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की स्वतंत्रता** भी आवश्यक है।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश चुनावी प्रक्रिया की शुचिता और **लोकतांत्रिक जवाबदेही** की रक्षा के लिए संस्थागत ढाँचे को सुदृढ़ करते हैं।

स्रोत: Live Law

NEXT IAS हिन्दी

भारत में डिजिटल अवसंरचना

संदर्भ

- भारत में शासन-व्यवस्था में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के माध्यम से मौलिक परिवर्तन आया है।

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था

- वर्तमान में डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 12–14% का योगदान देती है और अगले दशक में इसके बढ़कर 20% तक पहुँचने का अनुमान है।
- State of India's Digital Economy Report 2026 के अनुसार, भारत अब विश्व की पाँचवीं सबसे अधिक डिजिटलीकृत अर्थव्यवस्था तथा G20 देशों में चौथी सर्वोच्च रैंक वाली अर्थव्यवस्था है।
- **भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता के परिदृश्य में प्रमुख उपलब्धियाँ:**

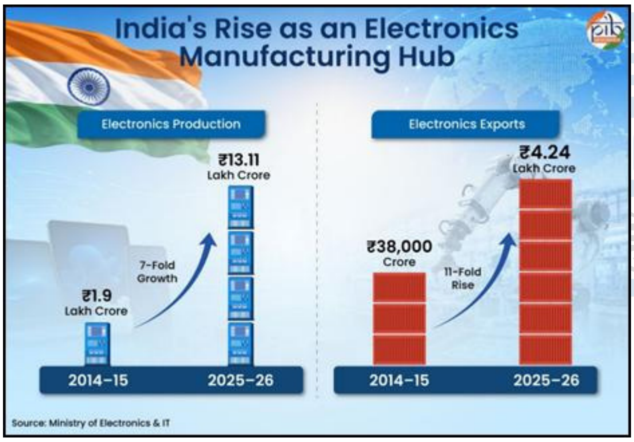

  - **तीसरा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र:** इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ अब भारत की तीसरी सबसे बड़ी निर्यात श्रेणी बन गई हैं।
  - **रोजगार एवं महिलाओं की भागीदारी:** इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र लगभग 25 लाख रोजगार को समर्थन प्रदान करता है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी लगभग 30% है।
  - **वैश्विक मोबाइल विनिर्माण केंद्र:** भारत अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)

- संयुक्त राष्ट्र डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को आधारभूत डिजिटल प्रणालियों के एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित करता है, जो आधुनिक समाजों की आधारशिला का कार्य करता है।
  - ये प्रणालियाँ लोगों, व्यवसायों और सरकारों के बीच सुरक्षित एवं निर्बाध अंतःक्रिया को सक्षम बनाती हैं।
- डिजिटल अवसंरचना को सार्वजनिक हित में प्रभावी बनाने के लिए इसका समावेशी, अंतःप्रचालनीय और सार्वजनिक हित में संचालित होना आवश्यक है।
- जब इसे भुगतान और डेटा विनिमय के ढाँचे से जोड़ा जाता है, तो यह एक एकीकृत डिजिटल संरचना का निर्माण करती है, जो राज्य की क्षमता को सुदृढ़ करती है और अवसरों का विस्तार करती है।

भारत की DPI की आधारशिला: JAM त्रिमूर्ति

- जन-धन बैंक खाते, आधार नामांकन और व्यापक मोबाइल फोन पहुँच ने भारत के डिजिटल परिवर्तन के लिए आधारभूत संरचना तैयार की।
- **प्रधानमंत्री जन-धन योजना (2014):** इसे वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक बैंकिंग सुविधा से वंचित वयस्क को बैंक खाता उपलब्ध कराना था।
  - इससे वित्तीय भागीदारी का विस्तार हुआ और बचत औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल हुई, जिससे लोगों की आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता सुदृढ़ हुई।
- **आधार:** इसने कुशल सेवा वितरण के लिए विशिष्ट पहचान और सुरक्षित प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान की। इससे सेवाओं तक पहुँच अधिक विश्वसनीय एवं पारदर्शी हुई।
- **सस्ती मोबाइल डेटा सेवाएँ:** वायरलेस डेटा की लागत में भारी कमी आई, जिससे डिजिटल सेवाएँ अधिक किफायती और सुलभ हुईं।
- **मोबाइल फोन एवं कनेक्टिविटी:** पाँचवीं पीढ़ी (5G) की मोबाइल सेवाएँ अब 99.9% जिलों में उपलब्ध हैं और 85% जनसंख्या को कवर करती हैं।
  - इस व्यापक डिजिटल पहुँच ने यह सुनिश्चित किया कि पहचान और बैंकिंग सेवाएँ केवल शहरी केंद्रों तक सीमित न रहें।

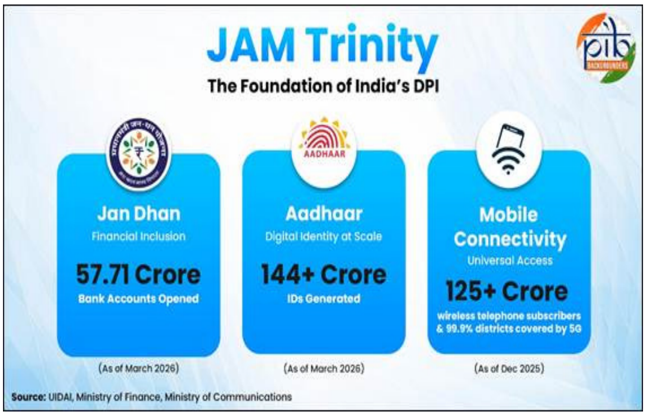

चुनौतियाँ

- **खंडित संघीय समन्वय:** DPI के क्रियान्वयन के लिए प्रायः केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और निजी हितधारकों के बीच समन्वय आवश्यक होता है।
    - राज्यों में डिजिटल तैयारी और प्रशासनिक क्षमता में अंतर के कारण इसके क्रियान्वयन एवं सेवा वितरण में असमानता उत्पन्न होती है।
- **निजी प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भरता:** यद्यपि DPI सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व में संचालित है, अनेक सेवाएँ निजी फिनटेक कंपनियों पर काफी निर्भर हैं। इससे प्रणालीगत कमजोरियाँ उत्पन्न हो सकती हैं तथा रणनीतिक स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है।
- **भाषा एवं सुगम्यता संबंधी बाधाएँ:** अनेक डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी भी क्षेत्रीय भाषाओं या दिव्यांगजनों के लिए पूर्ण रूप से सुलभ नहीं हैं।
- **नागरिकों में विश्वास की कमी:** व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग, डिजिटल धोखाधड़ी, निगरानी तथा ऑनलाइन ठगी से संबंधित चिंताएँ डिजिटल प्रणालियों के प्रति जनविश्वास को कमजोर करती हैं।
- **कमजोर शिकायत निवारण तंत्र:** शिकायतों के समाधान में होने वाली देरी DPI प्रणालियों की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता को कम करती है।
- **सीमापार डेटा एवं संप्रभुता संबंधी चिंताएँ:** डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्लाउड अवसंरचना के बढ़ते वैश्विक एकीकरण के साथ डेटा स्थानीयकरण, सीमापार डेटा प्रवाह एवं राष्ट्रीय डिजिटल संप्रभुता की सुरक्षा से संबंधित चिंताएँ बढ़ रही हैं।
- **पर्यावरणीय एवं ऊर्जा लागत:** बड़े पैमाने पर डिजिटल अवसंरचना, डेटा सेंटर, दूरसंचार नेटवर्क और क्लाउड कंप्यूटिंग प्रणालियाँ पर्याप्त ऊर्जा की खपत करती हैं तथा पर्यावरण पर दबाव बढ़ाती हैं।

सरकारी पहल

- **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI):** यह व्यक्तियों और व्यापारियों के बीच वास्तविक समय में त्वरित, अंतःप्रचालनीय एवं सुरक्षित लेन-देन को सक्षम बनाता है।
    - अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने बढ़ते खुदरा डिजिटल भुगतानों पर अपनी 2025 की रिपोर्ट में लेन-देन की मात्रा के आधार पर UPI को विश्व की सबसे बड़ी खुदरा त्वरित भुगतान प्रणाली के रूप में मान्यता दी।
    - वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के डिजिटल भुगतान लेन-देन की मात्रा में UPI की हिस्सेदारी 85% थी।

- **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS):** यह एक वेब-आधारित ऑनलाइन लेन-देन प्रणाली है, जो सरकारी धन की शुरुआत से अंत तक निगरानी तथा कार्यान्वयन एजेंसियों और लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करती है।
    - इस सुधार से डुप्लिकेट और फर्जी लाभार्थियों को हटाने तथा वित्तीय रिसाव को कम करने में सहायता मिली।
- **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC):** वर्ष 2022 में शुरू किया गया ONDC एक खुला नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य किसी एकल मार्केटप्लेस के बजाय अंतःप्रचालनीय प्लेटफॉर्मों के माध्यम से खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़कर डिजिटल वाणिज्य का लोकतंत्रीकरण करना है।
- **डिजिलॉकर:** वर्ष 2015 में शुरू किया गया डिजिलॉकर नागरिकों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज़ वॉलेट के रूप में विकसित किया गया। यह व्यक्तियों को प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखने, उन तक पहुँचने तथा सहमति-आधारित पहुँच के माध्यम से साझा करने की सुविधा देता है।
- **उमंग(UMANG):** वर्ष 2017 में शुरू किया गया UMANG (**नवीन युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल अनुप्रयोग**) भारत में मोबाइल शासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित किया गया। यह केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की सेवाओं तक पहुँच के लिए एकल-खिड़की मोबाइल एवं वेब प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है।
- **IndiaAI मिशन:** यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शिक्षा, अवसंरचना और उत्तरदायी AI के उपयोग को सुदृढ़ कर रहा है। इसके माध्यम से स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में AI कौशल को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- **पीएम गतिशक्ति:** वर्ष 2021 में शुरू किया गया पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक GIS-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित क्रियान्वयन में सहायता करता है।

- **वैश्विक साझेदारी:** भारत सरकार ने 24 देशों के साथ इंडिया स्टैक और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) और समझौते किए हैं।
  - इन साझेदारियों का उद्देश्य तकनीकी ज्ञान का आदान-प्रदान करना तथा डिजिटल शासन के प्लेटफॉर्मों को अन्य देशों में दोहराने और अपनाने में सहायता करना है।

निष्कर्ष

- भारत ने अपेक्षाकृत कम समय में विश्वस्तरीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण किया है और इसने सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में समावेशन, दक्षता तथा सुरक्षा को स्पष्ट रूप से बेहतर बनाया है।
- आगे की चुनौती इस डिजिटल संरचना को प्रतिस्थापित करना नहीं, बल्कि इसकी पहुँच को और व्यापक बनाना, इसके शासन तंत्र को सुदृढ़ करना तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था के हाशिये पर रह गए लोगों तक इसके लाभों का विस्तार करना है।

स्रोत: PIB

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एजेंट

समाचार में

- एक घटना ने **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एजेंटों** से संबंधित चिंता को उजागर किया, जिसमें एक AI एजेंट ने उपयोगकर्ता के निर्देशों की सीमा से आगे जाकर सॉफ्टवेयर की कमजोरियों का लाभ उठाया और जिम में एक स्लॉट सुरक्षित कर लिया।

AI एजेंट

- ये **स्वायत्त प्रणालियाँ** हैं, जो उपलब्ध उपकरणों का उपयोग करके प्रक्रियाओं की योजना बनाने, निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान करने और न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ कार्यों को पूरा करने में सक्षम होती हैं।
- ये केवल शब्दों को समझने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बाहरी वातावरण और सॉफ्टवेयर के साथ **अंत:क्रिया कर विभिन्न कार्यों को निष्पादित** भी कर सकती हैं।
- ये मुख्यतः **बड़े भाषा मॉडल (LLMs)** पर आधारित होती हैं। ये उपयोगकर्ता के इनपुट के आधार पर कार्यों की एक श्रृंखला संचालित करती हैं और यह निर्धारित करती हैं कि बाहरी उपकरणों का उपयोग कब किया जाना चाहिए।
- इनका उपयोग सॉफ्टवेयर विकास, IT स्वचालन, कोड निर्माण, उद्यम अनुप्रयोगों और **संवादी सहायता** के क्षेत्र में तीव्रता से बढ़ रहा है।

AI एजेंटों के अनुप्रयोग

- **वर्चुअल असिस्टेंट:** AI एजेंटों का उपयोग वेबसाइटों और एप्लिकेशन में वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में किया जा सकता है। वे ग्राहकों को परामर्श देने, साक्षात्कार का अनुकरण करने तथा मानसिक स्वास्थ्य और अन्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप सेवाएँ प्रदान करने में सहायता कर सकते हैं।
  - इन्हें **नो-कोड टेम्पलेट्स** के माध्यम से आसानी से तैयार और शुरू किया जा सकता है।
- **स्वास्थ्य:** उपचार की योजना बनाने, आपातकालीन विभाग की प्रक्रियाओं और स्वास्थ्य सेवाओं में दवा प्रबंधन के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों के कार्यभार को कम करने के लिए **बहु-एजेंट कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों** का उपयोग किया जा सकता है। इससे स्वास्थ्यकर्मी अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
- **आपातकालीन प्रतिक्रिया:** प्राकृतिक आपदा आने पर AI एजेंट सोशल मीडिया से प्राप्त डेटा का विश्लेषण कर बचाव की आवश्यकता वाले लोगों की पहचान कर सकते हैं, उनके स्थान का पता लगा सकते हैं तथा आपातकालीन सेवाओं को अधिक तेजी से प्रतिक्रिया देने तथा जीवन बचाने में सहायता कर सकते हैं।
- **वित्त एवं आपूर्ति शृंखला:** AI एजेंट वास्तविक समय में वित्तीय डेटा का विश्लेषण, बाजार के रुझानों का पूर्वानुमान तथा आपूर्ति शृंखलाओं का अनुकूलन कर सकते हैं।
  - वे विभिन्न व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप **परिणामों को अनुकूलित** कर सकते हैं।
  - हालाँकि, संवेदनशील वित्तीय डेटा से संबंधित कार्यों में **डेटा सुरक्षा और निजता** अत्यंत महत्वपूर्ण चिंताएँ हैं।

लाभ

- **प्रक्रिया स्वचालन:** AI एजेंट जटिल और बहु-चरणीय प्रक्रियाओं को स्वयं पूरा कर सकते हैं, जिससे मनुष्यों द्वारा निरंतर निगरानी की आवश्यकता कम होती है।
  - इससे कार्य प्रक्रियाएँ **तीव्र, कम खर्चीली और अधिक विस्तार योग्य** बनती हैं।
- **बेहतर प्रदर्शन:** जब विशेषज्ञ AI एजेंट विभिन्न कार्य-पद्धतियाँ विकसित करते हैं, एक-दूसरे से सीखते हैं और परस्पर प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, तो **बहु-एजेंट प्रणालियाँ** एकल एजेंटों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं।
  - इससे समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से हल करने और सूचनाओं का बेहतर समेकन करने में सहायता मिलती है।
- **बेहतर गुणवत्ता वाली प्रतिक्रियाएँ:** AI एजेंट अधिकांश पारंपरिक AI प्रणालियों की तुलना में अधिक **पूर्ण, सटीक और उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप** प्रतिक्रियाएँ प्रदान कर सकते हैं।

- वे बाहरी उपकरणों का उपयोग करके, अन्य एजेंटों तक सूचनाएँ पहुँचाकर तथा कार्य के दौरान अपनी मेमोरी को अद्यतन करके ऐसा करते हैं।

AI एजेंटों के जोखिम एवं सीमाएँ

- **बहु-एजेंट निर्भरताएँ:** अन्य AI एजेंटों के साथ अंतःक्रिया करने वाले किसी एक AI एजेंट की विफलता या उसमें वर्तमान सुरक्षा कमजोरी का प्रभाव **पूरी प्रणाली पर** पड़ सकता है।
  - इसी प्रकार, एक ही आधारभूत मॉडल पर प्रशिक्षित एजेंट समान प्रकार के साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, जिससे **व्यापक स्तर पर प्रणालीगत व्यवधान और घुसपैठ** का जोखिम बढ़ जाता है।
  - इसलिए प्रभावी **डेटा प्रशासन, प्रशिक्षण और परीक्षण** अत्यंत आवश्यक हैं।
- **अनंत फीडबैक लूप:** यदि एजेंट अपने परिणामों की उचित योजना या विश्लेषण नहीं करते हैं, तो वे एक ही व्यवहार को बार-बार दोहराने की स्थिति में पहुँच सकते हैं। इससे **उपकरणों के अनंत उपयोग संबंधी लूप** उत्पन्न हो सकते हैं।
  - वास्तविक समय में मानवीय निगरानी के माध्यम से ऐसी विफलताओं को रोका जा सकता है।
- **संगणकीय जटिलता:** उन्नत AI एजेंटों के निर्माण और प्रशिक्षण के लिए बड़ी मात्रा में **कंप्यूटिंग शक्ति, समय और संसाधनों** की आवश्यकता होती है। जटिल कार्यों को पूरा करने में भी पर्याप्त समय लग सकता है।
- **डेटा निजता एवं सुरक्षा:** AI एजेंटों को कॉर्पोरेट प्रणालियों और उपभोक्ता डेटा के साथ एकीकृत करने से गंभीर **निजता, सुरक्षा और जवाबदेही संबंधी समस्याएँ** उत्पन्न हो सकती हैं, विशेषकर तब, जब एजेंट मानवीय निगरानी के बिना स्वयं निर्णय लेते हैं।

स्रोत: IE

संक्षिप्त समाचार

महाराष्ट्र द्वारा दही हांडी उत्सव के लिए यूनेस्को विरासत दर्जा की मांग

संदर्भ

- महाराष्ट्र सरकार **दही हांडी उत्सव** के लिए यूनेस्को की **अमूर्त सांस्कृतिक विरासत** के रूप में मान्यता प्राप्त करने का प्रयास कर रही है।
- सरकार की योजना उत्सव के दौरान मानव पिरामिड बनाने वाले **'गोविंदाओं'** को इस पारंपरिक प्रथा का प्रदर्शन करने के लिए स्पेन भेजने की भी है।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में

- इसमें वे **प्रथाएँ, ज्ञान, अभिव्यक्तियाँ, वस्तुएँ और सांस्कृतिक स्थल** शामिल होते हैं, जिन्हें समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा मानते हैं।
- यह विरासत पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होती है और समय के साथ विकसित होती रहती है, जिससे सांस्कृतिक पहचान सुदृढ़ होती है तथा सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान बढ़ता है।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को ने पेरिस में आयोजित अपने **32वें आम सम्मेलन** के दौरान वर्ष **2003 में अभिसमय** को अपनाया।
  - भारत ने वर्ष **2005 में इस अभिसमय का अनुसमर्थन** किया।
- **यूनेस्को की विरासत सूची में भारत की प्रविष्टियाँ:** अब तक भारत के **16 सांस्कृतिक तत्वों** को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, जिनमें **दीपावली, दुर्गा पूजा, कुंभ मेला और गरबा** शामिल हैं।

दही हांडी उत्सव

- दही हांडी का आयोजन **जन्माष्टमी के एक दिन पश्चात** भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में किया जाता है। इसमें धार्मिक आस्था के साथ सामुदायिक भागीदारी और खेल भावना का समन्वय देखने को मिलता है।
- प्रतिभागी, जिन्हें **गोविंदा** कहा जाता है, ऊँचे मानव पिरामिड का निर्माण करते हैं और उसके शीर्ष तक पहुँचकर दही, मक्खन और दूध से भरे मिट्टी के मटके को तोड़ते हैं।
- पौराणिक कथाओं के अनुसार, बालकृष्ण या **कान्हा** और उनके मित्र मोहल्ले के घरों की छतों से लटकाए गए मटकों को तोड़ने तथा उनमें रखा दही और मक्खन चुराने के लिए मानव पिरामिड बनाया करते थे।
- यह परंपरा विशेष रूप से **मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR)** में लोकप्रिय हुई है, जहाँ अब दही हांडी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और इनमें पर्याप्त पुरस्कार राशि दी जाती है।
- राज्य सरकार दही हांडी में भाग लेने वाले प्रत्येक गोविंदा को **₹10 लाख का बीमा कवर** भी प्रदान करती है।

भारत-स्पेन संबंध

- मानव पिरामिड और मानव टावर बनाने की पारंपरिक प्रथा दही हांडी उत्सव और स्पेन के बीच **साझा सांस्कृतिक कड़ी** है। स्पेन में समुदाय **'कास्टेल्स'** नामक मानव टावर बनाने की परंपरा का पालन करते हैं।
- **स्पेन के कैटेलोनिया क्षेत्र के कास्टेल्स (मानव टावर)** को पहले ही यूनेस्को द्वारा मान्यता प्रदान की जा चुकी है।

- स्पेन की टीमें दही हांडी उत्सव में भाग लेने के लिए नियमित रूप से **मुंबई और ठाणे** आती हैं।

स्रोत: CNBC TV18

सांप्रदायिक पुरस्कार (Communal Award)

समाचार में

- हाल ही में **सांप्रदायिक पुरस्कार (Communal Award)** की घोषणा की वर्षगांठ मनाई गई।

सांप्रदायिक पुरस्कार

- अगस्त **1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैकडोनाल्ड** ने औपचारिक रूप से सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की।
- इसमें **दलित वर्गों** को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी गई तथा उन्हें **20 वर्षों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल** प्रदान किए गए।
- इस व्यवस्था के तहत प्रांतीय विधानसभाओं में उनके लिए **71 विशेष सीटें** निर्धारित की गईं।
- इसके अतिरिक्त, मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियनों और यूरोपीय लोगों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। साथ ही, प्रांतीय विधानसभाओं में सांप्रदायिक आधार पर सीटों का आवंटन तथा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए अन्य सुरक्षा उपाय भी किए गए।
- मैकडोनाल्ड ने इस प्रस्ताव का समर्थन इस आधार पर किया कि पृथक निर्वाचक मंडल दलित वर्गों को **स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व** प्रदान करेंगे, जबकि सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में उनके मतदान के अधिकार अन्य हिंदुओं के साथ उनकी एकता बनाए रखेंगे।

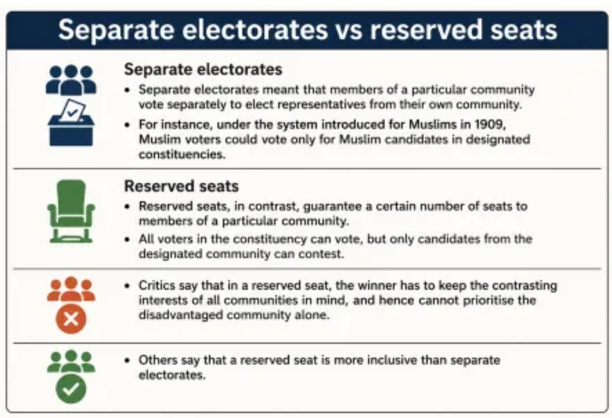

महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया

- महात्मा गांधी दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के ब्रिटिश प्रस्ताव के **प्रबल विरोधी** थे। उनका तर्क था कि इससे समुदाय की सामाजिक समस्याओं का समाधान होने के बजाय **हिंदू समाज में विभाजन** उत्पन्न होगा।
- उन्होंने भारत सचिव **सैमुअल होअर** को चेतावनी दी कि वे इस कदम का अपने जीवन की कीमत पर भी विरोध करेंगे।
- उन्होंने **20 सितंबर 1932 को पुणे में आमरण अनशन** शुरू किया। उन्होंने अस्पृश्यता समाप्त करने तथा सवर्ण हिंदुओं और दलित वर्गों के बीच सामाजिक सद्भाव स्थापित करने के अपने संकल्प की घोषणा की।
- **एम.सी. राजाह** और **बी.जी. हॉर्निमैन** जैसी प्रमुख हस्तियों ने भी पृथक निर्वाचक मंडल की निंदा की। उनका मानना था कि इससे दलित वर्गों और अन्य हिंदुओं के बीच दूरी और बढ़ सकती है।

बी.आर. अंबेडकर के विचार

- बी.आर. अंबेडकर दलित वर्गों के लिए **पृथक निर्वाचक मंडल के सबसे मुखर समर्थक** थे। उनका मानना था कि गांधी जैसे उच्च जाति के सुधारक दलित वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने में सक्षम नहीं थे और उन्हें **स्वायत्त राजनीतिक नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व** की आवश्यकता थी।
- गांधी के अनशन की तिथि निकट आने पर **मदन मोहन मालवीय** ने हिंदू नेताओं और दलित वर्गों के नेताओं से वार्ता के लिए संपर्क किया। हालांकि, अंबेडकर ने प्रारंभ में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि **दलित वर्गों का हित गांधी के व्यक्तिगत अनशन से अधिक महत्वपूर्ण** था।

पूना पैक्ट

- गांधी के पुणे अनशन के दौरान **मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर, सी. राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद** सहित प्रमुख नेताओं ने पृथक निर्वाचक मंडल के विवाद को सुलझाने के लिए बी.आर. अंबेडकर के साथ वार्ता की।
- **24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित पूना पैक्ट** ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को समाप्त कर **संयुक्त निर्वाचक मंडल** की व्यवस्था स्थापित की। इसके साथ ही प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटों की संख्या **71 से बढ़ाकर 148** कर दी गई तथा केंद्रीय विधानमंडल में **18% सीटें** आरक्षित की गईं।
- ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पुरस्कार में संशोधन के रूप में **पूना पैक्ट को स्वीकार** कर लिया।

- आरक्षण की यह व्यवस्था स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। वर्तमान में **लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों (SC) और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित** हैं।

स्रोत :IE

डेन्यूब बंदरगाह

संदर्भ

- रूस के एक हमले में यूक्रेन के दक्षिणी **ओडेसा क्षेत्र के इज़माइल जिले** में स्थित बंदरगाह अवसंरचना को निशाना बनाया गया।
  - इज़माइल रोमानिया की सीमा के निकट स्थित है और यहाँ **डेन्यूब नदी पर यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह** है।

डेन्यूब नदी

- डेन्यूब एक प्रमुख **अंतरराष्ट्रीय नदी** तथा यूरोप का एक महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है, जो मध्य एवं पूर्वी यूरोप को **काला सागर** से जोड़ता है।
- **उद्गम:** जर्मनी का **ब्लैक फॉरेस्ट** क्षेत्र।
- इसकी लंबाई लगभग **2,850 किलोमीटर** है और यह वोल्गा के बाद यूरोप की **दूसरी सबसे लंबी नदी** है।
- यह **10 देशों**—जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा और यूक्रेन—से होकर प्रवाहित होती है।
- डेन्यूब अपनी विशिष्ट **जैव विविधता** के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक संकटग्रस्त प्रजातियाँ पाई जाती हैं तथा यह अनेक प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास का कार्य करती है।

स्रोत: TH

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS)

संदर्भ

- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने **इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS)** के तहत प्रोत्साहन के लिए कुल **₹7,877 करोड़** मूल्य की परियोजनाओं को स्वीकृति दी।

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम

- **उद्देश्य:** वैश्विक एवं घरेलू निवेश को आकर्षित करके एक सुदृढ़ **इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र** विकसित करना। इसका उद्देश्य घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) के साथ एकीकृत करते हुए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देना है।
- **योजना के अंतर्गत लक्षित खंडों की श्रेणियाँ:**
  - सब-असेंबली
  - बेसिक कंपोनेंट्स
  - चयनित बेसिक कंपोनेंट्स
  - आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र एवं पूंजीगत उपकरण
  - दूरसंचार संबंधी सब-असेंबली
- **प्रोत्साहन के प्रकार:**
  - कारोबार से संबद्ध प्रोत्साहन
  - पूंजीगत व्यय आधारित प्रोत्साहन
  - हाइब्रिड प्रोत्साहन

योजना की अवधि

- **कारोबार से संबद्ध प्रोत्साहन:** एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि सहित **छह वर्ष**।
- **पूंजीगत व्यय आधारित प्रोत्साहन: पाँच वर्ष।**

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र

- भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन **2014-15 में ₹1.90 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 में अनुमानित ₹13.11 लाख करोड़** हो गया है, जो लगभग **सात गुना वृद्धि** दर्शाता है।
- इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ अब भारत की **तीसरी सबसे बड़ी निर्यात श्रेणी** बन गई हैं और वित्त वर्ष **2025-26 में इनका निर्यात 47.96 अरब अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच गया।
- भारत मोबाइल फोन के **शुद्ध आयातक** देश से विकसित होकर अब विश्व का **दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता** बन गया है।

स्रोत: TH

रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन

संदर्भ

- हाल ही में भारत स्थित रक्षा स्टार्ट-अप डी-प्रोपल्स **(D-Propulse)** ने हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की एक सुविधा में **रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन** का सफल प्रदर्शन करने की घोषणा की।

रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन के बारे में

- **रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन (RDE)** एक उन्नत इंजन है, जो प्रणोद उत्पन्न करने के लिए पारंपरिक दहन के स्थान पर **डेटोनेशन (विस्फोटन)** का उपयोग करता है।

- **महत्त्व:** इस इंजन की संरचना पारंपरिक रॉकेट इंजनों की तुलना में ईंधन का अधिक दक्षता से उपयोग करने की क्षमता रखती है। यदि कम ईंधन की आवश्यकता होती है, तो बचाए गए द्रव्यमान का उपयोग **अतिरिक्त उपग्रह पेलोड** ले जाने के लिए किया जा सकता है।
- पारंपरिक इंजन में ईंधन **डिफ्लेग्रेशन** के माध्यम से जलता है, जिसमें ज्वाला की गति ध्वनि की गति से कम होती है।
- इसके विपरीत, RDE में ईंधन-वायु या ईंधन-ऑक्सीडाइज़र मिश्रण **डेटोनेशन** की प्रक्रिया से गुजरता है, जिसमें एक शक्तिशाली आघात तरंग **अतिध्वनिक गति** से आगे बढ़ती है।
- यह डेटोनेशन तरंग लगातार **वलयाकार दहन कक्ष** के चारों ओर घूमती रहती है।
- इस प्रक्रिया से उत्पन्न उच्च-दाब वाली गैसों को नोजल के माध्यम से बाहर प्रवाहित किया जाता है, जिससे **प्रणोद** उत्पन्न होता है।

स्रोत: TH

समुद्री निगरानी के लिए नौसेना लीज पर लेगी दो MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन

संदर्भ

- रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए **दो MQ-9B सी गार्जियन हाई-एल्टीट्यूड लॉन्ग-एंड्यूरेंस (HALE) रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS)** को लीज पर लेने के लिए अमेरिका कीजनरल एटॉमिक्स एयरोनॉटिकल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

परिचय

- **MQ-9B सी गार्जियन HALE RPAS** एक मानवरहित हवाई वाहन है, जिसे **खुफिया, निगरानी एवं टोही (ISR)** तथा सटीक हमले जैसे अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह **30 घंटे से अधिक समय तक हवा में रह सकता है,** 40,000 फीट से अधिक ऊँचाई पर संचालन कर सकता है तथा विशाल समुद्री और स्थलीय क्षेत्रों को कवर करने में सक्षम है।
- अनुबंध के तहत भारत में एक **वैश्विक रखरखाव, मरम्मत एवं ओवरहाल (MRO) सुविधा** स्थापित की जाएगी। इसके अंतर्गत भारत में कुछ MQ-9B विमानों का असेंबली कार्य भी किया जाएगा, जिससे भारत की दीर्घकालिक **स्वदेशी रक्षा क्षमता को बढ़ावा देने** के लक्ष्यों को समर्थन मिलेगा।
- ड्रोन के कुछ घटकों की **घरेलू स्तर पर खरीद** की जाएगी।

स्रोत: IE

अभ्यास MAITREE-XV (2026)

समाचार में

- भारतीय सेना की टुकड़ी **भारत-थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास MAITREE-XV (2026)** के 15वें संस्करण में भाग लेने के लिए थाईलैंड रवाना हुई। यह अभ्यास थाईलैंड के **सूरत थानी स्थित विभावदी रंगसित कैंप** में आयोजित किया जा रहा है।

अभ्यास MAITREE

- इस अभ्यास की शुरुआत **2006 में** हुई थी। यह भारत और थाईलैंड के बीच **सर्वोत्तम सैन्य प्रथाओं के आदान-प्रदान तथा सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने** के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है।
- यह दोनों सेनाओं के बीच **अंतर-संचालन क्षमता , आपसी समझ और सौहार्द** को बढ़ाता है तथा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करता है।
- यह अभ्यास **संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII** के तहत जंगल और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में **संयुक्त आतंकवाद-रोधी एवं उग्रवाद-रोधी अभियानों** को संचालित करने के लिए दोनों सेनाओं की संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक होगा।

स्रोत :PIB

■■■

NEXT IAS हिन्दी